



Form 1

Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर
R.T.No 129 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
227	हरिपद कुम्हार वो रघुनाथ कुम्हार वो नारायण कुम्हार , पिता-बुधु कुम्हार, जाति- . एवं अवध बिहारी कुम्हार वो महादेव कुम्हार , पिता-गोपाल चन्द्र कुम्हार, जाति- कुम्हार	1079		0 ऐ	38 डि	0 ऐ	0		1 / 225
		1087		0 ऐ	9 डि	0 ऐ			
		1133		0 ऐ	22 डि	0 ऐ			
		1144		0 ऐ	4 डि	0 ऐ			
		1246		0 ऐ	6 डि	0 ऐ			
		1345		0 ऐ	8 डि	0 ऐ			
		1365		0 ऐ	20.86 डि	0 हे			
		1484		0 ऐ	47 डि	0 ऐ			
		1490		0 ऐ	9.7 डि	0 हे			
		1495		0 ऐ	25 डि	0 ऐ			
		153		0 ऐ	4 डि	0 ऐ			
		155		0 ऐ	24 डि	0 हे			
		157		0 ऐ	8 डि	0 ऐ			
		606		0 ऐ	67 डि	0 हे			
		871		0 ऐ	18 डि	0 हे			
		954		0 ऐ	15 डि	0 हे			
		977		0 ऐ	15 डि	0 हे			

	हलवाई									
227	SANJU DEVI , पति-RAM IQBAL TIWARI , जाति- ब्राह्मण	1365		0 ऐ	7.14 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 17126/2021 - 2022	6 / 37	
227	इंदु देवी , पति-शैलेन्द्र कुमार सिंह , जाति- राजपुत	1365		0 ऐ	4.25 डि	0 हे	1	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2407/2022 - 2023	7 / 40	
227	श्री भारत कोचर , पिता-सुरेश कुमार कोचर , जाति- ----	988		0 ऐ	0 डि	0 हे	0	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1740/2022 - 2023	7 / 67	
227	श्री जितेश केशरी , पिता-श्री ज्ञान शंकर केशरी , जाति- ----	606		0 ऐ	2.29 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 10548/2022 - 2023	8 / 51	
227	SMT MALTI SINHA , पति-SRI ASHOK KUMAR SINHA, जाति- कायस्थ	606		0 ऐ	2.29 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4790/2023 - 2024	9 / 43	
227	श्रीमती तनु कुमारी मंडल , पति-श्री रंजीत कुमार पिता श्री मिहिर कुमार मंडल, जाति- ----	988		0 ऐ	3.35 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 5198/2023 - 2024	9 / 61	
227	NEHA KUMARI , पिता-BHUSHAN GUPTA, जाति- ...	604		0 ऐ	2.29 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4096/2023 - 2024	9 / 71	

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

10/4/2023

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।